बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

।। अधिसूचना ।।

संचिका संख्या–18/ART–01/2025, स्वास्थ्य–...../ पटना, दिनांक– / /2026

भारत सरकार के सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 (2021 का 47) की धारा 12(2) एवं सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 35(2) मे प्रदत्त अधिकारिता के अन्तर्गत उक्त अधिनियमों के सुसंगत प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु अधिनियम की धारा 12(3) एव धारा 35(3) में प्रदत्त प्रावधानों के आलोक में विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक–1130(18), दिनांक–30.05.2025 के माध्यम से गठित राज्य समुचित प्राधिकारी (Appropriate Authority) हेतु निम्नवत संशोधन किया जाता है :–

क्र० सं०	पूर्व में नामित अध्यक्ष का नाम एवं पदनाम	अध्यक्ष का संशोधित नाम एवं पदनाम
01	**विशेष सचिव,** स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना	**कार्यपालक निदेशक,** राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना।

इस संदर्भ में विभागीय अधिसूचना संख्या–1130(18), दिनांक–30.05.2025 को इस हद तक संशोधित समझा जाए। उक्त अधिसूचना की शेष बातें यथावत् रहेगी।

प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(राय अमरनाथ सहाय)
संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–18/ART–01/2025–570 (18सी) स्वा० पटना, दिनांक– 08/10/2026

प्रतिलिपिः–माननीय मत्री स्वास्थ्य विभाग, बिहार के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव, बिहार/सभी विभागो के प्रधान सचिव के आप्त सचिव/सभी सचिव, बिहार के आप्त सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार बिहार के आप्त सचिव/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, बिहार/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार/सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार/सभी सिविल सर्जन, बिहार/प्राचार्य/अधीक्षक, सभी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल एवं स्वास्थ्य विभाग के सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–ए०आर०टी० एवं सरोगेसी प्रभाग, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– राज्य समुचित प्राधिकारी के अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः--आई०टी० मैनेजर/प्रोग्रामर (श्री दिग्विजय) को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।